न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 733 / 2022

अनवान : –

1. परमानन्द पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
2. जय भगवान पुत्र जुगतीराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर

– वादीगण

बनाम्

1. सतपाल पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
2. रामकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
3. अमनदीप पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
4. जयनन्द पुत्र जुगतीराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
5. राजवीर पुत्र बलविन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
6. महेन्द्रो देवी पत्नी बलविन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
7. किरण पुत्री बलविन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
8. सविता पुत्री बलविन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
9. रीतु पुत्री विमला देवी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
10. पूनमरानी पुत्री विमला जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
11. श्रवण कुमार पुत्र विमला देवी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
12. साहिल पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
13. सचिन पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
14. बिन्दु पुत्री जयवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
15. दीपिका पुत्री जयवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
16. रविना पुत्री जयवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
17. विकास पुत्र जयवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 02/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर [illegible] 2080 के खाता संख्या 37 / 37 की कुल 2.0240 भूमि में मृतका दमी[illegible] व मृतक बलविन्द्र पुत्र जुगतीराम का 5 / 54 हिस्सा दर्ज [illegible] रोही मौजा 17 के[illegible] तहसील नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 56/58 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से मृतक बलविन्द्र पुत्र जुगतीराम का 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण की बुआ दमी पुत्री हजारीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 17 है तथा बलविन्द्र पुत्र जुगतीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 है। प्रतिवादी संख्या 6 जो की प्रतिवादी संख्या 5 की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 जो की प्रतिवादी संख्या 5 की बहिने है उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है व प्रतिवादीया संख्या 9 ता 17 उपरोक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 17 का उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में मृतका दमी पुत्री हजारी के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनों को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज है व मृतक बलविन्द्र के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 काबिज है इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 17 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2077–80 रोही मौजा 17 केएनएन खाता संख्या 37/37, 56/58, शपथ पत्र ... आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में दमी उर्फ दमयन्ती व बलविन्द्र के नाम दर्ज है जो की बुआ/भाई है का देहान्त हो चुका है। उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 का हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 17 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 37/37 की कुल 2.0240 भूमि में मृतका दमी पुत्री हजारीराम का 1/6 हिस्सा व मृतक बलविन्द्र पुत्र जुगतीराम का 5/54 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 56/58 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से मृतक बलविन्द्र पुत्र जुगतीराम का 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण ने कथन किया है कि दमी उर्फ दमयन्ती व बलविन्द्र का देहान्त हो चुका है दमी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार 9 ता 17 है व बलविन्द्र के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार 5 ता 8 है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 17 ने उक्त वाद भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 द्वारा स्वीकार किया जाकर जरिये अधिवक्ता ईकबाल जवाब पेश किया जा चुका है। वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत सदस्य एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार हजारी के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता ईकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

संख्या 37/37 की कुल 2.0240 भूमि में मृतका दमी पुत्री हजारीराम का 1/6 हिस्सा भूमि में मृतका दमी पुत्री हजारीराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 तीनों को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के बहिब के एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 1/3 हिस्सा भूमि का तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व मौजा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 37/37 की कुल 2.0240 भूमि में 5/54 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 56/58 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से मृतक बलविन्द्र पुत्र जुगतीराम का 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनों खातों में बलविन्द्र पुत्र जुगतीराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 733 / 2022

अनवान : –

1. परमानन्द पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
2. जय भगवान पुत्र जुगतीराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर

– **वादीगण**

बनाम्

1. सतपाल पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
2. रामकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
3. अमनदीप पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
4. जयनन्द पुत्र जुगतीराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
5. राजवीर पुत्र बलविन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
6. महेन्द्रो देवी पत्नी बलविन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
7. किरण पुत्री बलविन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
8. सविता पुत्री बलविन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
9. रीतु पुत्री विमला देवी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
10. पूनमरानी पुत्री विमला जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
11. श्रवण कुमार पुत्र विमला देवी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
12. साहिल पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
13. सचिन पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
14. बिन्दु पुत्री जयवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
15. दीपिका पुत्री जयवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
16. रविना पुत्री जयवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
17. विकास पुत्र जयवीर निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर हाल लुदेसर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 733 सन 2022 निर्णय दिनांक- 02/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के [illegible] सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 37 / 37 की कुल 2.0240 भूमि [illegible] / 6 हिस्सा भूमि में मृतका दमी पुत्री हजारीराम का नाम कलमजान किया जाकर उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 तीनों को संयुक्त रूप से 1 / 3 हिस्सा के बहिब के एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 1 / 3 हिस्सा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि का तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व मौजा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 37/37 की कुल 2.0240 भूमि में 5/54 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 56/58 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से मृतक बलविन्द्र पुत्र जुगतीराम का 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनों खातों में बलविन्द्र पुत्र जुगतीराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/02/2024...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:02 IST
Reason: SelfAttested